न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 67/2016

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगणः–**

गजाराम पुत्र वागाजी जाति राईका निवासी मोरी गांव तहसील बाली

1. रताराम पुत्र वागाराम
2. निम्बाराम पुत्र वागाराम
3. हंजा पत्नि जोराराम
4. दिनेश पुत्र जोराराम
5. हनवन्त पुत्र जोराराम जातिगण राईका निवासीगण मोरी गांव
6. ग्राम पंचायत सेणा तहसील बाली
7. ग्राम पंचायत दुदनी तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री गजेन्द्रसिंह मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.07.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेणा द्वारा मिसल संख्या 11/1976–77 संकल्प संख्या 35 दिनांक 08.12.1980 की पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 3 से 5 के पति/पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 29.10.1981 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। अतः प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहित अप्रार्थी संख्या 3 के पति, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता द्वारा पैतृक भूखण्ड मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सेणा के समक्ष प्रस्तुत किया एवं यह निवेदन किया कि पैतृक मकान का पट्टा मौके पर उपलब्ध भूमि का जारी किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपने मकान का 18000 वर्गफिट का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा इतनी ही भूमि मौके पर उपलब्ध है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस क्षैत्रफल से अधिक 21,600 वर्गफिट भूमि का पट्टा जारी किया गया, जगकि इतनी भूमि मौके पर उपलब्ध ही नही है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में 21600 वर्गफिट भूमि का जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

अति० जिला कलक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वास्तव में जैर निगरानी पट्टा अधिक भूमि का जारी किया गया है, जबकि इतनी भूमि मौके पर उपलब्ध ही नही है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं पुनः मौके अनुरूप प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत को आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सेणा द्वारा मिसल संख्या 11/1976–77 संकल्प संख्या 35 दिनांक 08.12.1980 की पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 3 से 5 के पति/पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 29.10.1981 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक जोराराम पुत्र वागाजी जाति देवासी द्वारा अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु निवेदन किया, जिस पर दिनांक 30.06.1976 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 02.07.1976 को मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट उक्त रिपोर्ट मात्र एक वार्ड पंच द्वारा तैयार की गई है, जो उचित नही है। इसके उपरान्त भी इसी दिनांक को नक्शा तैयार कर मिसल में लगाने के आदेश दिये गये एवं आपत्ति आमन्त्रित कराने हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात मिसल पुनः नये सिरे से नम्बर पर लेने के आदेश दिये गये एवं नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात मिसल दिनांक 07.04.1979 को मिसल पेश हुई, जिसमें नक्शा संलग्न किया गया, जिसमें प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल 16800 वर्गफिट अंकित किया एवं तीन वार्ड पंचों का मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 27.07.1979 को पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। इसकी पालना में नोटिस कब जारी किया गया, न तो मिसल के संलग्न नोटिस है तथा न ही नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है, अतः नोटिस जारी किया जाना संदेहास्पद है। इसके पश्चात आगामी बैठक में पत्रावली प्रस्तुत करना अंकित किया गया है, जिसमें बैठक की दिनांक रिक्त है एवं तथाकथित आगामी बैठक में गवाह श्री वीराराम व श्री मानिंगा के बयान कलमबद्ध किये गये एवं निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 08.12.1980 को नियत की गई। दिनांक 08.12.1980 को निर्णय पारित किया जाकर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 (1)(घ) के तहत 240/– रूपये में विक्रय विलेख जारी करने के आदेश पारित किये गये। सम्पूर्ण प्रक्रिया में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के अध्याय 13 (2) के नियम 256 (2), 258 (2), 259, 260 (1 व 2) की पूर्ण पालना नही की गई है। अतः इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह दूषित प्रतीत होती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सेणा द्वारा मिसल संख्या 11/1976–77 संकल्प संख्या 35 दिनांक 08.12.1980 की पालना में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 3 से 5 के पति/पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 दिनांक 29.10.1981 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत दूदनी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से

अति० जिला कलक्टर, पाली

160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से न्यायोचित निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली